कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना, म0प्र0
द्वितीय संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना कमांक 4/13–14 दिनांक 27–4–2013

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से नलजल योजना/स्थल जल प्रदाय योजनाओं में विद्युत लाइन विस्तार कार्य हेतु प्रपत्र ''अ'' (प्रतिशत दर) में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि0 जबलपुर के एस.ओ.आर., जो दिनांक 1–4–2012 से प्रभावशील एस.ओ.आर., अद्यतन सशोधन सहित, के आधार पर विद्युत विभाग में कार्य के अनुरूप उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों से (जो सागर क्षेत्र में पंजीकृत हो) साथ ही नवीन प्रणाली (लोक निर्माण विभाग के द्वारा) के तहत ''सी'' श्रेणी व उससे उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से इस कार्यालय में दिनांक 14–5–2013 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं एवं उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी । कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन पत्र दिनांक 13–5–2013 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

कार्य का विवरण :– पन्ना जिले के विकासखंड शाहनगर के निम्नलिखित नलजल योजना/स्थल जल प्रदाय योजनाओं में विद्युत लाइन विस्तार, परीक्षण एवं उससे संबंधित समस्त कार्य ।

ग्रुप क्र.	योजना के ग्राम का नाम	कार्य का विवरण	ठेके की अनु. लागत (रु0 लाख में)	अमानत राशि (रु0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित)	ठेकेदार की श्रेणी म.प्र.वि.म. में पंजीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
–	1. रूपझिर (बु.खं.यो.) विकासखंड शाहनगर 2. पिपरियाकला (बु.खं.यो.) विकासखंड शाहनगर 3. बड़ागांव (न.ज.यो.) विकासखंड शाहनगर	जल प्रदाय योजना के अंतर्गत विद्युत लाइन विस्तार कार्य शेड्यूल अनुसार	9.61	19220.00	2000.00	एक माह	''अ'' एवं उससे ऊपर

निविदा की शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिक कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत होने का वैध पंजीयन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । साथ ही वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किए जावेंगे ।
2. निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ इसी आकार एवं प्रकार के कार्यो के सफलता पूर्वक सम्पादित करने का प्रमाण पत्र जो कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. प्रत्येक समूह के लिए पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र प्रदाय किये जावेंगे । प्रत्येक समूह की निविदा हेतु धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) पृथक–पृथक एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी, जोकि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना के नाम पर देय हो । बिना अमानत राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी । अमानत राशि ब्याज धारित प्रतिभूति के रूप में ही मान्य की जावेगी, जोकि निविदा दर लिफाफा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी । पुरानी एफ0डी.आर. का समायोजन नहीं किया जावेगा ।
4. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाए जाने पर रु0 200/– अतिरिक्त डाक व्यय भेजना होगा । बिलंब से प्राप्त होने अथवा गुम होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

5. वैध आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र अथवा रिटर्न जो आयकर विभाग में जमा किया गया हो, की प्राप्ति की रसीद की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा । साथ ही पेन नंबर, टिन नंबर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा । विक्रीकर पंजीयन होना अनिवार्य है ।
6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्य कर रहे ऐसी फर्म/ठेकेदार निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र होंगे जिनके द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य अधूरा छोड़ा गया हो तथा ऐसे ठेकेदार जिनके द्वारा विभाग से कार्य हेतु प्राप्त की गई सामग्री से आंशिक सामग्री का उपयोग कर शेष सामग्री न तो विभाग को वापस की गई और न ही उसका मूल्य विभाग में जमा किया गया । तत्संबंधी विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है । ऐसी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी राजसात मानी जावेगी ।
7. यह कार्य विशिष्ट श्रेणी का है, अतः निविदा प्रपत्र फर्म/ठेकेदार को दिए जावेंगे जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य का 50 प्रतिशत या अधिक क्षमता के निर्माण कार्य सफलता पूर्वक निर्धारित अवधि में पूर्ण किया गया हो एवं इस आशय का प्रमाण पत्र जोकि कार्यपालन यंत्री के स्तर से कम न हो, आवेदन पत्र के साथ सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. निविदा में वर्णित कार्य की लागत अनुमानित है । ठेकेदार को कार्य स्थल के वास्तविक किए गए कार्य अनुसार भुगतान देय होगा ।
9. उपयुक्त आई.एस.आई. मार्क सीमेंट, लोहा एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी । सीमेंट की गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंडों का परीक्षण सक्षम अधिकारी से कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।
10. सशर्त निविदाएं अमान्य कर दी जावेंगी तथा बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।
11. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व में आवंटित कार्य पूर्ण नहीं किए हैं उन्हें निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा ।
12. दरों का उल्लेख स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में किया जाना आवश्यक है ।
13. दूरभाष पर निविदाएं मान्य नहीं होगी ।
14. कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।
15. कार्य से संबंधित अन्य जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है ।
16. निविदाएं निविदा खुलने की तिथि से 120 दिनों तक वैध रहेंगी ।
17. दरों का उल्लेख स्पष्ट प्रतिशत सी0एस0आर0 कम या अधिक अंकों एवं शब्दों में किया जाना आवश्यक होगा ।
18. यह सकर्म निविदा होगी, अतः नियमानुसार श्रमिक कल्याण उपकर 1 प्रतिशत एवं मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अनुसार वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वेट कटौती ठेकेदार के देयक से की जावेगी । भवन संनिर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 के तहत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर की कटौती देयक से की जावेगी ।
19. कार्य के दौरान उत्खनन से प्राप्त खनित जैसे फाड़ी, गिट्टी एवं रेत आदि की रायल्टी की कटौती खनिज विभाग द्वारा निर्धारित दरों एवं मापदंडों के अनुसार की जावेगी । मध्यप्रदेश शासन खनिज संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. 19–24/2004/12/1/1 दिनांक 18–12–2006 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार ठेकेदारों के अंतिम देयकों का भुगतान कलेक्टर से रायल्टी बकाया नहीं प्रमाण पत्र होने के उपरांत किया जावेगा ।
20. किसी भी परिस्थिति में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी ।

21. इस निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं शर्ते कार्यालयीन समय के दौरान निविदा प्राप्ति से एक दिन पूर्व तक इस कार्यालय में ठेकेदार द्वारा देखी जा सकती है ।
22. विद्युत से संबंधित समस्त सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल एवं तार, विद्युत विभाग से निर्धारित मानकों के अनुसार ही उपयोग करना होगा ।
23. कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूर्ण किया जाना है, अन्यथा एफ.डी.आर. राजसात की जावेगी ।
24. विद्युत विस्तार कार्य में संलग्न कुशल–अकुशल श्रमिकों के पंजीयन एवं किसी भी प्रकार की संपत्ति की क्षति या मानवीय दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति हेतु संविदाकार पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे ।
25. भुगतान पूर्व लाइन विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर सहायक विद्युत निरीक्षक, सतर्कता एवं सुरक्षा, म0प्र0 शासन द्वारा निरीक्षण टीप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी ।
26. निविदा प्रस्तुत करते समय अर्नेस्ट मनी (धरोहर राशि) एफ.डी.आर. राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना के नाम से जारी की गई, प्रस्तुत करना होगी । पूर्व में जमा एफ.डी.आर. समायोजित नहीं की जावेगी ।
27. निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण इस कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं कार्य दिवसों में तथा विभागीय वेबसाइट www.mpphed.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
28. सेंटेजेस चार्जेस देय नहीं होगा ।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
पन्ना, म0प्र0

पृ0क0/1517/व0ले0लि0/का0यं0/ले0स्वा0यां0/खण्ड/13 पन्ना, दिनांक : 27.4.13
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर ।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर ।
4. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर मण्डल सागर ।
5. कलेक्टर जिला पन्ना ।
6. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी खण्ड छतरपुर/टीकमगढ/सागर/दमोह
7. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग पन्ना/ छतरपुर/टीकमगढ/सागर/दमोह (म0प्र0)
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग पन्ना/ छतरपुर/टीकमगढ/सागर/दमोह
9. कार्यपालन यंत्री, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पन्ना
10. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पन्ना
11 सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड पंन्ना/पवई
12. एन0आई0सी0 पन्ना
13. सहायक संचालक, जनसंपर्क पन्ना
14. अध्यक्ष, ठेकेदार संघ पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
15. नोटिस बोर्ड ।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना (म0प्र0)